न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 148/2017

दायर दिनांक–29.08.2017

(सचिन बनाम मंजू)

वकील वादी : – **श्री विजेन्द्र सिंह दूत**
वकील प्रति. :– **श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया**

प्रार्थना प्रत्र अं.आ. 07 नियम 11
सपठित धारा 151 सी.पी.सी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 2.01.2023

प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादीगण ने इस प्लीडिग के साथ वाद पेश किया है कि ग्राम ढाका का बास तन् निवाई की सरहद मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 4.02 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.47 है0 कुल रकबा 6.39 है0 स्थित है में 1/2 हिस्सा वादीगण के नानाजी सांवतराम का था। वादीगण के नानाजी सांवतराम के स्वर्गवास होने पर उनके 1/2 हिस्से की भूमि उसके वारिसान वादीगण की माता बबीता कुमारी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को बराबर–बराबर यानि उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/8 –1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ और इसी अनुसार सक्षम अथोरिटी द्वारा राजस्व अभिलेख दर्ज किया गया। जो सही दर्ज किया। वादीगण के नानीजी प्रतिवादी संख्या 3 काफी वृद्व, अनपढ़, ग्रामीण महिला है, जिसकी सोच समझ काफी कमजोर हो गई है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 का प्रश्नगत कृषि भूमि मे दर्ज हिस्सा 1/8 का तथाकथित हक त्याग पत्र दिनांक 14.12.2015 को गलत व विधि विरूद्व कार्यवाही करके अपने पक्ष मे तस्दीक करवा लिया। उक्त हक त्यागपत्र वादीगण के हक अधिकारो के विरूद्व एबिनिशियो वोईड करार दिया जाकर मंसुख व निरस्त किया जाकर वादीगण को उक्त आराजी मे 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण की प्लीडिंग के अनुसार सांवतराम के स्वर्गवास के पश्चात सांवतराम के कब्जे काश्त, खातेदारी अधिकारो की भूमि का राजस्व अभिलेख उनके वारिसान के नाम से बनाया गया है जो सक्षम अथोरिटी द्वारा सही बनाया गया है। उक्त राजस्व अभिलेख को वादीगण ने ना तो दावे मे गलत ठहराया है और ना ही किसी भी प्रकार से चुनौती दी है। वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा था। जिसका राजस्व अभिलेख प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 3 को अपने नाम दर्ज खातेदारी अधिकारों की भूमि के उपयोग–उपभोग का दान, विक्रय, वसियत व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने के समस्त हक अधिकार प्राप्त थे। प्रतिवादी संख्या 3 अपनी स्वतन्त्र इच्छा से वादग्रस्त आराजी मे अपने नाम दर्ज 1/8 हिस्से की भूमि, जिसको हस्तान्तिरत करने का प्रतिवादी संख्या 3 को पूर्ण अधिकार था, का हक त्याग जरिये रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 14.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे किया है। जो प्रतिवादी संख्या 3 ने समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर समक्ष अधिकारी उप पंजियन कार्यालय नवलगढ़ मे रजिस्ट्रर्ड करवाया है जो प्रतिवादी संख्या 3 ने पूर्ण होश हवास व ज्ञान से करवाया है। प्रतिवादी संख्या 3 के क्षमता व अक्षमता के बारे मे आपत्ति करने का वादीगण को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त दस्तावेज को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 को उक्त दस्तावेज पूर्ण रूप से स्वीकार है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 को अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि को हस्तान्तिरत करने का पूर्ण अधिकार था [illegible] संख्या 3 ने सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रर्ड करवाया है। इसलिए उक्त दस्तावेज किसी भी प्रकार [illegible] एबिनिसियो वोईड दस्तावेज नही है। हर प्रकार से वैध दस्तावेज है। वादीगण [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 से उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर कपटपूर्ण तरीके [illegible] तर्कनामा रजिस्ट्रर्ड करवा[illegible] उसे सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते थे। माननीय [illegible]त हाजा को उपरोक्त [illegible] अनुसार किसी भी रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद क्षैत्राधिकार के अभाव मे खारिज होने योग्य है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:01:24 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने उक्त वाद मे वाद कारण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 14.12.2015 को विधि विरूद्व रूप से हक त्याग पत्र रजिस्ट्रर्ड करवाने के रोज पैदा होने दर्ज किया है। जबकि सांवतराम के मृत्यु के पश्चात समक्ष अथोरिटी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड उनके वारिसान के नाम सही दर्ज करना अंकित किया है। सांवतराम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से 1/8 हिस्से की भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। जो वादीगण ने दावे मे किसी भी प्रकार से चुनौती नही दी है तथा उक्त राजस्व रिकॉर्ड का सही दर्ज होना वादीगण ने स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने नाम दर्ज 1/8 हिस्से की भूमि के संबंध मे समस्त हक अधिकार प्राप्त थे। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने 1/8 हिस्से की भूमि को विधिनुसार समस्त प्रक्रिया अपना कर जरिये रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र से प्रतिवादी संख्या 3 को हस्तान्तरित किया है। उक्त हक तर्क नामा प्रतिवादी संख्या 3 ने समक्ष अधिकारी उप पंजियन के समक्ष अपनी स्वेच्छा से तस्दीक करवाया है। उक्त रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि का राजस्व अभिलेख प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बना है जो सही बना है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद के लिए कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है। इसलिए वाद कारण के अभाव मे उक्त वाद किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादीगण ने दावे की मद संख्या 3 मे वादीगण ने दर्ज किया है कि वादीगण को स्व0 सांवतराम के 1/2 हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि मे 1/3 हिस्से (सम्पूर्ण प्रश्नगत कृषि भूमि मे 1/6 हिस्से) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 को भी 1/3–1/3 (सम्पूर्ण प्रश्नगत कृषि भूमि मे 1/6–1/6 हिस्से) के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड सही व दर्ज किया जावे विकल्प बतौर यदि उक्त गलत व विधि विरूद्व हक त्याग पत्र दिनांक 14.12.2015 को निरस्त किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 3 अपना हिस्सा लेना चाहती है तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्से (सम्पूर्ण प्रश्नगत कृषि भूमि मे 1/8–1/8) के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। उक्त मद अनुसार वादीगण किसी कानून के तहत 1/6–1/6 हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है और किसी प्रकार हक त्याग पत्र निरस्त करवाना चाहते है, किस प्रकार हक त्याग पत्र विधि विरूद्व है, एवं किसी प्रकार 1/8–1/8 हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। ऐसा कोई तथ्य दर्ज नही किया है। जब वादीगण सावंतराम की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड सही दर्ज होना मानते है एवं प्रतिवादी संख्या 3 का वादग्रस्त आराजी मे 1/8 हिस्सा होना स्वीकार करते है तो प्रतिवादी संख्या 3 को अपने हिस्से की भूमि के समस्त हक अधिकार भी प्रकार है और प्रतिवादी संख्या 3 ने विधि सम्मत रूप से समक्ष अधिकार के समक्ष अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग रजिस्ट्रंर्ड हक त्याग विलेख से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे किया है तो उक्त हक त्याग पत्र किस प्रकार विधि विरूद्व रूप से हुआ है। इस प्रकार वादीगण के वाद मे कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। वादी ने गलत व अस्पष्ट व निराधार कथन दर्ज कर उक्त वाद पेश किया है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक स्टेज पर ही खारीज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– प्रतिवादी संख्या 3 ने कुछ तथ्य वाद पत्र के मुताबिक दर्ज करके जिनके संदर्भ में प्रार्थीगण वादीगण को कौनसे कानून के तहत किस न्यायालय में क्या कार्यवाही करनी है इस बाबत सलाह देने का प्रयास किया है और प्रतिवादी सं0 3 ने रजिस्टर्ड दस्तावेजात के बारे में व्याख्या करके न्यायालय कार्यवाही का कार्य किया है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 3 को कोई राईट व लेना देना नही है। प्रतिवादी यदि वादीगण की उक्त कार्यवाही व वाद पत्र का खण्डन करना चाहता है तो कानूनी मियाद के अन्दर उनका जबाब दावा पेश करके अपना पक्ष रख सकता था लेकिन प्रतिवादी सं0 3 की तरफ से दिनांक 20.09.2017 को श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया व किशोर कुमार जॉगिड़ अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश करके हाजिर होने के बावजूद भी आज तक करीबन चार पांच माह का समय व्यतीत होने पर भी जबाब दावा पेश नही हुआ [illegible] प्रक्रिया संहीता में प्रावधान है कि प्रतिवादी की तामील होने के 30 दिन के अन्दर तथा [illegible] बाद [illegible]लय की अनुमति से 90 दिन के अन्दर जबाब दावा आवश्यक रूप से पेश करना चाहिए लेकिन [illegible] कानूनी मियाद के तहत [illegible] जबाब दावा पेश नही किया है और ना ही [illegible] से आपत्ति [illegible] की गई है। इसलिए प्रतिवादी का जबाब दावा पेश होना व रिकॉर्ड पर लेने का कानूनी अधिकार समाप्त हो गया है। जिसके लिए उक्त गलत व वेग प्रार्थना पत्र पेश करके न्यायालय को मुगालता देकर जबाब दावा पेश करना चाहता है जबकि माननीय न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 23.12.2021 में प्रतिवादीगण का जबाब दावा बन्द करने का स्पष्ट उल्लेख किया है इसलिए न्यायालय की आदेशिका व कानूनी प्रावधानो के अनुसार प्रतिवादीगण का जबाब दावा रिकार्ड पर लेना कतई न्याय संगत नही है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:01:24 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. ([illegible])
नवलगढ़

वादीगण ने स्व0 सांवतराम की खातेदारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध में उक्त वाद पत्र पेश किया है और जिसमें खातेदारी अधिकार घोषित करवाने व राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने बाबत रिलीफ चाही है। स्व0 सांवतराम की सम्पति में वादीगण का कानूनी राईट व हिस्सा है और प्रार्थीगण वादीगण के हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि से वादीगण का किसी प्रकार से कोई लेना देना नही है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में वैध व अवैध दस्तावेजात के बारे में निर्णय न्यायालय को करना है। इसमें प्रतिवादीगण कोई सलाह व सुझाव देने का हकदार नही है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी ने जो भी तथ्य दर्ज किये है वह अं0 धारा 7 रूल 11 सी.पी.सी के तहत कवर नही होते है तथा माननीय न्यायालय ने उक्त वाद पत्र कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर अपने अधिकार क्षैत्र का होने से दर्ज किया है। इसलिए उक्त वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करने के लिए वादाधिकार किस प्रकार पैदा हुआ उसका पूर्णरूप से खुलासा वाद पत्र के अभिवचन व धारा 9 में दिया गया है। इसलिए वादीगण को कोई वादाधिकार पैदा नही होने का तथ्य गलत दर्ज किया है। वादीगण ने प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार घोषित व सुरक्षित करवाने बाबत उक्त वाद पत्र पेश किया है। जिसके संबंध में खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करके कोई दस्तावेजात गलत व विधिविरूद्व तरीके से करवाया है तो उसके सम्बन्ध में वाद सुनने व निर्णय पारीत करने का हक अधिकार माननीय न्यायालय को है इसलिए वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाना कतई ही उचित नही है। प्रतिवादी ने केवल जबाब दावा पेश करने के लिए टाईम निकालने के लिए एवं वादीगण के वाद पत्र को डिले करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसको खारीज किया जावे। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य अं0 ओ0 7 रूल 11 सी.पी.सी. के तहत कवर नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रतिवादी ने करीबन चार पॉच माह का समय व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक अपना जबाब दावा पेश नही किया है बल्कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार तामील होने से 30 दिन के अन्दर एवं उसके पश्चात न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके 90 दिन के अन्दर जबाब दावा प्रस्तुत करना होता है लेकिन प्रतिवादी ने कानूनी नियम व प्रावधानो की पालना नही की है बल्कि उक्त वेग प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रतिवादी का जबाब दावा बंद किया जावे और उक्त प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.12.2021 व कानूनी लिहाज के अनुसार जबाब दावा बंद किया जाना न्याय संगत है तथा वाद पत्र को डिले करने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको खारीज किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। संबधित अधिवक्ताओं ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपरोक्त वाद पत्र मे वादी द्वारा वाद पत्र के माध्यम से मुख्य अनुतोष दिनांक 14.12.2015 को उपपंजीयक कार्यालय नवलगढ से निष्पादित हकपरित्याग प्रलेख को निरस्त करने की चाही है एवं हकपरित्याग प्रलेख का निष्पादन गलती से होना उल्लेख किया है, चूंकि वादीगण द्वारा हकपरित्याग का निष्पादन गलत होने पर आज दिनांक 28.12.2022 तक उक्त दस्तावेज की वैधता को सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान करने का कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा को उपलब्ध नही करवाया है ना ही प्रार्थना पत्र की बहस में उक्त संदर्भ में कथन किया है, चूंकि मुख्य अनुतोष हकपरित्याग को निरस्त करवाना है जो कि न्यायालय हाजा की अधिकारिता में निहित नही है अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र अं0आ0 7 नियम 11 धारा 151 सी.पी.सी पर विचार किया जाना उचित नही समझता है। अतः वाद पत्र उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेश 07 नियम 10 धारा 151 सी.पी.सी. के अर्न्तगत लौटाया जाता है। वादीगण द्वारा वाद पत्र व वकालतनामा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर प्रमाणित प्रति को मूल के स्थान पर रखा जाकर मूल वाद पत्र व वकालतनामा लौटाया जावे। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में इस स्तर तक उपगत खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। आदेश आज दिनांक 02.01.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:01:24 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ